(ए) आर सी एच – ।।

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से अक्टूबर 1997 से पांच वर्षो हेतु लागू की गई थी जिसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2005 कर दी गई इसके पश्चात् इसे आर सी एच – ।। परियोजना के रूप में जारी रखने का फैसला भारत शासन द्वारा लिया गया है।

प्रदेश की प्रमुख तीन प्राथमिकताओं (मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर को कम करना) को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रदेश में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1998 से चलाया जा रहा है। आर सी एच –। 31 मार्च 2005 को खत्म हो चुका है एवं आर सी एच –।। 1 अप्रैल 2005 से चल रहा है।

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य का उद्देश्य परिवार कल्याण कार्यक्रम को अतिरिक्त सहायता देना तथा कार्यक्रम के प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य स्वास्थ्य संस्थाओं की मजबूती, परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना विकेन्द्रीकृत सहभागिता से योजना निर्माण व सामुदायिक सेवा आवश्यकता का आंकलन प्रबंधन एवं तकनीकी कार्यकौशल की क्षमता में वृद्धि, परिवार कल्याण की पहुंच ग्रामीण स्तर तक सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी विशेषकर समाज के कमजोर तबकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम 2005–2012) की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य देश के 18 बेहद पिछड़े राज्यों की ग्रामीण आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना है इन राज्यों में मध्यप्रदेश भी एक है। यह मिशन स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जी डी पी के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 से 3 प्रतिशत किये जाने के सरकार के प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। इस का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करना है ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये वायदे के अनुसार बढ़े हुये आवंटनों को कारगर ढंग से सम्हालने योग्य बना सके और ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे सके जो देश में जनस्वास्थ्य प्रबंधन और सेवा प्रदानगी को सुदृढ़ करती हो ।

इसके मुख्य घटक है – प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की तैनाती, पंचायत के स्वास्थ्य और सफाई समिति की अध्यक्षता में एक स्थानीय दल के माध्यम से एक ग्राम स्वास्थ्य योजना का निर्माण, कारगर

नैदानिक परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पताल को सुदृढ़ बनाना और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आई पी एच) के जरिए उसे मूल्यांकन योग्य तथा समुदाय के प्रति जबादेह बनाना तथा निधियों और आधारभूत ढांचे के सर्वोत्तम उपयोग के लिए विविध (वर्टिकल) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों और निधियों को मिलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी को सुदृढ़ बनाना । इसमें यह व्यवस्था की जायेगी कि स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को जीर्णोद्धार किया जाये और ''आयुष'' को जन स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाये ।

3.1 रणनीति

- पंचायती राज संस्था का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास करना ।
- आशा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को घरों तक पहुंचाना ।
- प्रत्येक गांव के लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्वास्थ्य योजना बनाना ।
- अनाबद्ध राशि से उपस्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना ।
- वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टेण्डर्ड के तहत् सुदृढ़ करना ।
- जिला स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जिला स्वास्थ्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना जिसमें पेयजल, सफाई एवं स्वच्छता तथा पोषण भी शामिल हों ।
- लोक स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु राष्ट्र, राज्य तथा जिला स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहयोग देना ।
- पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप को बढ़ावा देना ।
- आयुष को पुर्नजीवित कर मुख्य धारा से जोड़ना ।